अनुदान संख्या 13 - दूरसंचार विभाग
GRANT No. 13 - DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
पूरक	*Supplementary*		*25,00,00*	*25,00,00*	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	32436,38,00	71157,80,00	66255,44,06	-4902,35,94
पूरक	Supplementary	38721,42,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4902,98,45
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
पूरक	*Supplementary*		*1,14,00*	*1,12,86*	*-1,14*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*1,14*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	63111,42,00	63745,79,00	56227,49,06	-7518,29,94
पूरक	Supplementary	634,37,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				7518,29,44

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में स्वीकृत अंश में, समग्र बचतें (₹494385.52 लाख) दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्रप्त ₹3872142.00 लाख के पूरक अनुदान का 13 प्रतिशत और कुल स्वीकृत अनुदान का 7 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित की गई ₹490298.45 लाख की राशि भी समग्र बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹490235.94 lakhs) constituted 13 percent of the supplementary grants of ₹3872142.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023 and 7 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered ₹490298.45 lakhs also exceeded the overall saving.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess + बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	90130.00	79820.74	79816.42	-4.32
पु.	R.	-10309.26			
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"				
पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Pensions and Other Retirement Benefits				
मू.	O.	1900000.00	1553051.34	1553377.34	+326.00
पु.	R.	-346948.66			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	25000.00	..	..	..
पु.	R.	-25000.00			
मुख्य शीर्ष "3275"	Major Head "3275"				
अन्य संचार सेवाएं	Other Communication Services				
मू.	O.	1228466.00	4992599.47	4992340.30	-259.17
पू.	S.	3872142.00			
पु.	R.	-108008.53			

(I) सात शीर्षों के अंतर्गत ₹393041.00 लाख का प्रावधान (₹13000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹393000.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध है :–

(I) Provision of ₹393041.00 lakhs (including supplementary grants of ₹13000.00 lakhs) remained wholly unutilized under seven heads; of these ₹393000.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "अन्य संचार सेवायें – सार्वभौमिक सेवा बाध्यता के लिए सेवा प्रदाताओं को मुआवजा – सार्वभौमिक सेवा बाध्यता के लिए सेवा प्रदाताओं को मुआवजा" – ₹20000.00 लाख;

(ख) "अन्य व्यय – सेंटर फार डेवलेपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स" – ₹5000.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत किया गया प्रावधान पूर्वोतर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों को कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "3275" –

(क) "सार्वभौमिक सेवा बाध्यताओं के लिए सेवा प्रदाताओं को मुआवजा – अनुसंधान और विकास के लिए मुआवजा" – ₹13000.00 लाख – ग्रामीण तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवा के प्रसार करने के लिए निविदा की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किए जाने के कारण।

(ख) "अन्य व्यय – 4जी स्पेक्ट्रम पर जी एस टी अनुदान" – ₹355000.00 लाख – योजना के स्थगन से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "3275" – "सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता – गारंटी शुल्क से छूट" – मार्च, 2023 में पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹5258.00 लाख की निधियां मुहैया कराई गई थीं। जो, तथापि, कम गारंटी जारी किए जाने के कारण ₹1108.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहे।

(III) मुख्य शीर्ष "3451" – "संबद्ध कार्यालय" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(A) Major Head "2552" -

(a) "Other Communication Services - Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation - Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation" - ₹20000.00 lakhs; and

(b) "Other Expenditure - Centre for Development of Telematics" - ₹5000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "3275" -

(a) "Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation - Compensation for R & D" - ₹13000.00 lakhs - due to non-completion of tender formalities to enable affordable broadband and mobile service proliferation in rural and remote areas.

(b) "Other Expenditure - Grant for GST on 4G Spectrum" - ₹355000.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to postponement of the scheme.

(II) Under Major Head "3275" - "Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Waiver of Guarantee Fee" - funds of ₹5258.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant in March, 2023, which, however, remained unutilised to the extent of ₹1108.00 lakhs - due to issue of less guarantee.

(III) Under Major Head "3451" - "Attached Offices" - savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशालय" – ₹3912.46 लाख की बचत (₹26587.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Directorate" - saving of ₹3912.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26587.00 lakhs);

(खा) "दूरसंचार इंजीनियरिंग सेंटर" – ₹841.38 लाख की बचत (₹4590.00 लाख की स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(B) "Telecommunications Engineering Centre" - saving of ₹841.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4590.00 lakhs); and

(गा) "सतर्कता टेलीकाम निगरानी प्रकोष्ठ" – ₹3238.28 लाख की बचत (₹24920.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) "Vigilance Telecom Monitoring Cells" - saving of ₹3238.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24920.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें वेतन और भत्तों और स्थापना संबंधी अन्य व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to requirement of less funds towards pay and allowances and other establishment related expenses.

(घा) "केंद्रीय निगरानी प्रणाली – संचालन और रखरखाव" – ₹599.43 लाख की बचत (₹3600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थापन संबंधी व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(D) "Central Monitoring System - Operation and Maintenance" - saving of ₹599.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3600.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards establishment related expense.

(ड़) "नीतिगत अनुसंधान, नवोन्मेष और प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान (एन टी आई पी आर आई टी)" – ₹639.58 लाख की बचत (₹2636.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(E) "National Telecommunication Institute for Policy Research, Innovation and Training (NTIPRIT)" - saving of ₹639.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2636.00 lakhs); and

(चा) "दूरसंचार लेखा महानिदेशक" – ₹729.41 लाख की बचत (₹2165.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(F) "Controller General of Communication Accounts" - saving of ₹729.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2165.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वेतन और भत्तों, की गई यात्राओं, तुच्छ सिविल निर्माण कार्यों और स्थापना संबंधी अन्य व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds towards pay and allowances, tours undertaken, minor civil works and other establishment related expenses.

(IV) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(IV) Under Major Head "2071" - "Civil" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति भत्ते – साधारण पेंशन" – ₹216147.16 लाख की बचत (₹1197990.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Superannuation and Retirement Allowances - Ordinary Pensions" - saving of ₹216147.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1197990.00 lakhs);

(खा) "पेंशन का संराशिकृत मूल्य – साधारण पेंशन" – ₹54786.96 लाख की बचत (₹135500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "ग्रेज्युटी – साधारण पेंशन" – ₹122773.06 लाख की बचत (₹345870.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) "छुट्टी नकदीकरण लाभ – साधारण पेंशन" – ₹2089.03 लाख की बचत (₹5300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3275" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "उद्योगों/कंपनियों को सहायता – भारत में टेलीकाम और नेटवर्किंग उत्पाद विनिर्माण संवर्धन के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पी एल आई) योजना" – ₹48846.20 लाख की बचत (₹52768.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पी एल आई लाभार्थियों से कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" –

(क) "अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन, जेनेवा" – ₹787.19 लाख की बचत (₹3437.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आई टी यू क्षेत्रीय कार्यालय और नवोन्मेष केंद्र के में अंशदान के लिए कम निधिों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ख) "भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और उससे संबंधित कार्यकलापों का आयोजन" – ₹1292.03 लाख की बचत (₹1350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संबंधित कार्यकलाप आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(B) "Commuted Value of Pensions - Ordinary Pensions" - saving of ₹54786.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹135500.00 lakhs);

(C) "Gratuities - Ordinary Pensions" - saving of ₹122773.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹345870.00 lakhs); and

(D) "Leave Encashment Benefits - Ordinary Pensions" - saving of ₹2089.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5300.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to receipt of less claims.

(V) Under Major Head "3275" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Assistance to Industries/Companies - Production Linked Incentive (PLI) Scheme to Promote Telecom and Networking Products Manufacturing in India" - saving of ₹48846.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹52768.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to receipt of less claims from PLI beneficiaries.

(B) "International Co-operation" -

(a) "International Telecommunication Union, Geneva" - saving of ₹787.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3437.00 lakhs) was due to requirement of less funds for contribution in ITU Area Office & Innovation Centre.

(b) "Organizing International Conferences and related activities in India" - saving of ₹1292.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1350.00 lakhs) was due to organizing of less International Conferences and related activities.

(गा) "अन्य व्यय – आई टी एस/बी डब्ल्यू एस अधिकारियों को प्रशिक्षण" – ₹1500.27 लाख की बचत (₹1684.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए आने के कारण हुई।

(C) "Other Expenditure - Training to I.T.S/ B.W.S Officers" - saving of ₹1500.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1684.50 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to conduction of less training programmes.

(VI) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1492.13 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक किंतु ₹500.00 लाख से कम थी और स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत से 71 प्रतिशत तक थीं।

(VI) Under four heads savings of ₹1492.13 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 19 percent to 71 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹269952.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि मुख्य शीर्ष "3275" – "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वी जी एफ)" के अंतर्गत ₹1366884.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2.(I) The above savings were partly (₹269952.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹1366884.00 lakhs under Major Head "3275" - "Assistance to Public Sector and other Undertakings - Viability Gap Funding (VGF)."

(II) बचतें भी निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं :–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल – परिवार पेंशन – परिवार पेंशन" – ₹49533.44 लाख का अधिक व्यय (₹213500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेंशन प्रभार के अंतर्गत फील्ड यूनिटों द्वारा अतिरिक्त निधियों के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(A) Major Head "2071" - "Civil - Family Pensions - Family Pensions" - excess of ₹49533.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹213500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by field units under pensionary charges.

(खा) मुख्य शीर्ष "3275" –

(क) "सार्वभौमिक सेवा बाध्यताओं के लिए सेवा प्रदाताओं को मुआवजा – सेवा प्रदाताओं को मुआवजा" – ₹18647.49 लाख का अधिक व्यय (₹171400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – सार्वभौमिक सेवा बाध्यताओं के लिए सेवा प्रदाताओं को मुआवजा" – ₹1352.51 लाख का अधिक व्यय (₹8600.00 लाख

(B) Major Head "3275" -

(a) "Compensation to Service Provider for Universal Service Obligation - Compensation to Service Providers" - excess of ₹18647.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹171400.00 lakhs); and

(b) "Tribal Area Sub-Plan-Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation" - excess of ₹1352.51 lakhs

के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों के पुनर्विनियोग के कारण हुआ।

(ग) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – आई टी यू क्षेत्रीय कार्यालय और नवोन्मेष केंद्र" – ₹1213.00 लाख (₹3.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय भवन के लिए अंशदान और किराए से संबंधित लंबित बिलों को निपटाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(घ) "अन्य व्यय" –

(i) "टेलीमेटिक्स विकास केंद्र" – ₹5000.00 लाख का अधिक व्यय (₹38700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों के पुनर्विनियोग के कारण हुआ।

(ii) "भारतीय टेलीकाम विनियामक प्राधिकरण" – ₹718.00 लाख का अधिक व्यय (₹9000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थापना संबंधी व्यय के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(iii) "स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने वाले बी एस एन एल और एम टी एन एल कर्मचारियों को आवर्धिक पेंशन भुगतान" – ₹16476.29 लाख का अधिक व्यय (₹330000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बी एस एन एल से अपेक्षाकृत अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(against the sanctioned provision of ₹8600.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(c) "International Co-operation - ITU Area Office & Innovation Centre" - excess of ₹1213.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending bills related to contribution and rent on office building .

(d) "Other Expenditure" -

(i) "Centre for Development of Telematics" - excess of ₹5000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38700.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "Telecom Regulatory Authority of India" - excess of ₹718.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards establishment expenses.

(iii) "Incremental Pension Payment to voluntarily retiring BSNL and MTNL employees" - excess of ₹16476.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹330000.00 lakhs) was due to receipt of more claims from BSNL.

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹122754.00 लाख क अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक था किंतु ₹500.00 लाख से कम था और स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत से शत प्रतिशत था।

(III) Under three heads excess of ₹122754.00 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 29 percent to 100 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में समग्र बचतें (₹751829.94 लाख) दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹63437.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थीं।

3. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall saving (₹751829.94 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹63437.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023 and constituted 12 percent of the total sanctioned provision.

बचतें / अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं / हुए :–

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	91780.00	..	..	..
पु.	R.	-91780.00			
मुख्य शीर्ष "4859"	Major Head "4859"				
दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries				
मू.	O.	20000.00	18700.00	18700.00	..
पु.	R.	-1300.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5275"	Major Head "5275"				
अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Communication Services				
मू.	O.	6199362.00			
पू.	S.	63437.00	5604049.56	5604049.06	-0.50
पु.	R.	-658749.44			

(I) छह शीर्षों के अंतर्गत ₹288882.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹288880.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थे :–

(I) Provision of ₹288882.00 lakhs remained wholly unutilized under six heads; of these ₹288880.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" –

(A) Major Head "4552" -

(क) "अन्य संचार सुविधायें – भारत नेट" – ₹70000.00 लाख; और

(a) "Other Communication Facilities - Bharat Net" - ₹70000.00 lakhs; and

(ख) "अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय – अन्य व्यय – नेट आधारित ओ एफ सी – रक्षा सेवाओं के लिए निर्माण कार्य" – ₹21780.00 लाख।

(b) "Capital Outlay on Other Communication Services - Other Expenditure - OFC based net-work for Defence Services" - ₹21780.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों के पुनर्विनियोग के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provision under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "5275" –

(B) Major Head "5275" -

(क) "आरक्षित निधियाँ को अंतरण – ओ एफ सी आधारित नेटवर्क – केंद्रीय सडक और अवसंरचना निधि में निधियों का अंतरण" – ₹196100.00 लाख – वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।

(a) "Transfer to Reserve Fund - OFC based Network - Fund Transferred to Central Road and Infrastructure Fund" - ₹196100.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) "अन्य व्यय – डिजिटल आसूचना एकक परियोजना" – ₹1000.00 लाख – वित्त मंत्रालय से समग्र परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "4859" – "दूर संचार – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – आई टी आर पुनरुद्धार (इक्विटी निवेश)" के अंतर्गत – ₹1300.00 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलन में) के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "5275" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "अन्य संचार सुविधायें" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹746.21 लाख की बचत (₹1100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिविल कार्य की कम प्रगति की वजह से बड़े निर्माण कार्यों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "भारत नेट" – ₹456617.19 लाख की बचत (₹599900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय एवं अन्य उपक्रम आधारित मॉडल परियोजनओं की धीमी गति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – बी एस एन एल और एम टी एन एल में पूंजी प्रवाह" – ₹1833357.00 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित कुल ₹4472001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 4जी मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए निविदा को अंतिम रूप देने में हुई देरी के कारण हुई।

(b) "Other Expenditure - Digital Intelligence Unit Project" - ₹1000.00 lakhs - due to non-receipt of Detailed Project Report approval from the Ministry of Finance.

(II) Under Major Head "4859" - "Telecommunications - Investments in Public Sector and other Undertakings - ITI Revival (Equity Investment)" - saving of ₹1300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head "5275" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Other Communication Facilities" -

(a) "Office Building" - saving of ₹746.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards major works and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow progress of civil work.

(b) "Bharat Net" - saving of ₹456617.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹599900.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of State and Central Public Sector and Other Undertakings led modal projects.

(B) "Investments in Public Sector and other Undertakings - Capital infusion in BSNL and MTNL" - saving of ₹1833357.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4472001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to delay in finalization of tender for procurement of 4G machinery and equipment.

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – भारत नेट" – ₹23382.81 लाख की बचत (₹30100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में भारत नेट परियोजना के लिए प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Bharat Net" - saving of ₹23382.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30100.00 lakhs) was due to reduction of provision was due to reduction of provision for Bharat Net Project at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(घा) "अन्य व्यय" –

(क) "वायरलेस सेट और उपकरण" – ₹1489.03 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना की मौजूदा आवश्यकताओं में परिवर्तन के कारण मशीनरी और उपकरणों के अंतर्गत कम वायरलैस सैट अधिप्राप्त करने के कारण हुई।

(ख) "रक्षा सेवाओं के लिए ओ एफ सी आधारित नेटवर्क" – ₹37553.67 लाख की बचत (₹174320.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना सर्किलों से कम संख्या में दावे/बिल प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) "संचार वित्त प्रशिक्षण संस्थान" – ₹1340.92 लाख की बचत (₹2800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से कम संख्या में दावे/बिल प्राप्त होने के कारण।

(घ) "स्वदेशी 5जी परीक्षण अवसंरचना" – ₹757.00 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी और उपकरणों कि खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकत के चलते वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(D) "Other Expenditure" -

(a) "Wireless Sets and Equipments" - saving of ₹1489.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to procurement of less Wireless Sets under machinery and equipment component owing to change in current requirements of the project.

(b) "OFC Based network for Defence Services" - saving of ₹37553.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹174320.00 lakhs) was due to receipt of less claims/bills from the project circles.

(c) "Training Institute for Communication Finance" - saving of ₹1340.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2800.00 lakhs) was due to receipt of less claims/bills from Central Public Work Department.

(d) "Indigenous 5G Test Bed" - saving of ₹757.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to requirement of less funds towards procurement of machinery and equipment.

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹813.84 लाख रुपए की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक किंतु ₹500.00 लाख से कम थीं और स्वीकृत प्रावधान का 34 प्रतिशत और 94 प्रतिशत थीं।

(IV) Under two heads saving of ₹813.84 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 34 percent and 94 percent of the sanctioned provision.

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹1886564.00 लाख) प्रयुक्त हो गई, जैसा कि मुख्य शीर्ष "5275" – "आरक्षित निधियों को अंतरण सार्वभौमिक सेवा वचन बद्धता निधि" के अंतर्गत ₹63436.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "5275" – "अन्य व्यय – टेलीकाम कंप्यूटर आपातकालीन अनुक्रिया टीम" के अंतर्गत हुए अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹7820.00 लख का अधिक व्यय (₹3180.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आई पी एफ आई एक्स प्रोब्स की अधिप्राप्ति और संस्थापना, मैन डेटा सेंटर की कनेक्टिविटी और कमीशनिंग के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकत के कारण हुआ।

5. भारतीय टेलीकॉम विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधि :–

भारतीय टेलीकॉम विनियामक प्राधिकरण (टी आर ए आई) की स्थापना 28 मार्च, 1997 को भारतीय टेलीकॉम विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत की गई थी। टी आर ए आई (संशोधन) अधिनियम, 2000 से इस प्राधिकरण का पुनर्गठन हुआ। टी आर ए आई ने बेहतर गुणवता और वहनीय कीमत के साथ टेलीकॉम क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक प्रतियोगिता के लिए परयास किया है। एन टी पी 99 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार की दिनांक 9 जनवरी 2004 की अधिसूचना के तहत प्रसारण और केबल सेवायें भी टी आर ए आई के दायरे में आ गई हैं। टी आर ए आई को केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है।

वर्ष 2022–23 के लिए निधियों का ब्यौरा निम्न अनुसार है :

4.(I) The above savings were partly (₹1886564.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹63436.00 lakhs under Major Head "5275" - "Transfer to Reserve Fund - Transfer to Universal Service Obligation Fund".

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "5275" - "Other Expenditure - Telecom Computer Emergency Response Team" - excess of ₹7820.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3180.00 lakhs) was due to requirement of additional funds owing to towards alongwith the procurement and installation of IPFIX Probes, connectivity and commissioning of Main Data Centre.

5. Telecom Regulatory Authority of India General Fund: -

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) was established under the Telecom Regulatory Authority of India Act 1997 enacted on 28th March 1997. The TRAI (Amendment) Act, 2000 led to reconstitution of the Authority. TRAI has endeavored greater competition in telecom sector together with better quality and affordable prices. In order to meet the objectives of NTP, 99 vide notification of the Government dated 09th January 2004, broadcasting and cable services have also come under the purview of TRAI. The Grants for TRAI is made by the Central Government.

The Account of the Fund for 2022-23 was as follows:

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	50,18,79
प्राप्तियां	Receipts	232,22,91
भुगतान	Payments	232,78,00
अंतशेष	Closing Balance	49,63,70

6. *सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि :–*

नई टेलीकॉम नीति, 99 (एन टी फि 99) में वहनीय और उचित मूल्यों पर बेसिक टेलीकाम सेवाओं तक सभी की पहुँच की परिकल्पना की गई है। सार्वभौमिक सेवा बाध्यता (यू एस क्यू) को पूरा करने के लिए संसाधन सार्वभौमिक सेवा लेवी (यू एस एल) के माध्यम से सृजित किए जाते हैं जो विभिन्न लाइसेंसों के तहत आपरेटरों द्वारा अर्जित राजस्व का प्रतिशत होगा। सेवा प्रदाताओं से लाइसेंस शुल्क (एल एफ) के एक घटक के रूप में सार्वभौमिक सेवा लेवी (यू एस एल) का संग्रहण भारत की समेंकित निधि में जमा किया जाता है और सार्वजनिक सेवा बाध्यता निधि को अंतरण के लिए निधियों का आवंटन बजट प्रक्रिया के अनुसार संसद के अनुमोदन से किया जाता है।

वर्ष 2022–23 के लिए निधियों का लेखा निम्न अनुसार है :

6. *Universal Service Obligation Fund :-*

The New Telecom Policy, 99 (NTP-99) envisages provision of access to basic telecom services to all at affordable and reasonable prices. The resources for meeting the Universal Service Obligation (USO) are to be generated through a Universal Service Levy (USL) which would be a percentage of the revenue earned by the operators under various licenses. Collections towards Universal Service Levy (USL) from service providers as a component of License Fee (LF) are credited to the Consolidated Fund of India and allotment of funds for transfer to Universal Service Obligation Fund is made through Parliamentary approval as per budgetary procedure.

The Account of the Fund for 2022-23 was as follows:

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	शून्य NIL
प्राप्तियां	Receipts	53500,00,00
भुगतान	Payments	3500,00,00
अंतशेष	Closing Balance	50000,00,00